कार्यालय कलेक्टर (चिप्स) राजनांदगांव (छ.ग)

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 164/चिप्स /2016 राजनांदगांव , दिनांक 11 /01/2016

प्रति

1. जिला जन संपर्क अधिकारी, राजनांदगांव
2. जिला जन सुचना अधिकारी, राजनांदगांव

विषय :- लोक सेवा ऑपरेटर के नियुक्ति के विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत।
सन्दर्भ :- विज्ञप्ति आदेश क्रमांक 161 /चिप्स /2016 राजनांदगांव दिनाकं 11/01/2016

---000---

कृपया संदर्भित विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों मे नि:शुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें एवं उक्त सुचना को राजनांदगांव जिले की वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

11/01/2016

डिप्टी कलेक्टर,
एवं नोडल अधिकारी (चिप्स)
जिला - राजनांदगांव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

विज्ञप्ति

क्रमांक / 161 / चिप्स / 2016 राजनांदगांव, दिनांक 11 / 01 / 2016

छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम–2003 के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन नियमों के अधीन लोक सेवा आपरेटर के आवेदन नीचे अंकित विवरण अनुसार आमंत्रित किए जाते है :–

सरल क्रमांक	स्थान जहां के लिये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।	कुल रिक्ति
1	तहसील कार्यालय अं.चौकी	01
2	तहसील कार्यालय मोहला	01
3	तहसील कार्यालय डोंगरगढ़	02

आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित स्थान का स्पष्ट लाल स्याही से उल्लेख होना चाहिए। यथा तहसील कार्यालय अं.चौकी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लिफाफे में **"लोक सेवा आपरेटर पद हेतु तहसील अं.चौकी के लिए आवेदन"** अंकित करना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर आवेदित स्थान का विवरण अंकित न होने पर आवेदन पत्र बिना लिफाफा खोले अमान्य किया जा सकेगा।

शैक्षणिक अर्हता :–

(1) लोक सेवा आपरेटर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला त्यागी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होगा।

(2) कम्प्यूटरों का बुनियादी ज्ञान या कम्प्यूटर में अन्य कोई डिग्री हो।

(3) प्रतिभूओं, बीमाओं, बैंक गारंटियों का अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हों।

(4) कोई व्यक्ति लोक सेवा आपरेटर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दंडनीय अपराध के लिये सिद्धदोष किया जा चुका हो।

लोक सेवा आपरेटर की नियुक्ति –

(1) छ.ग. शासन उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) की आदेश क्रमांक 809 / पी.एस. / एसआईटी / 2003 / चॉईस दिनांक 19 अगस्त 2003 द्वारा नियुक्त समिति की अनुशंसाओं के आधार पर चॉइस एजेंट की नियुक्ति की जायेगी।

(2) नियुक्ति किये गये चॉइस एजेंट को चॉइस केन्द्र का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 20,000 / – रू. की प्रतिभूति दी जानी होगी तथा विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।